न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या 02/2018

अपीलांटः—

1. श्री लालू पुत्र श्री शम्बुजी, जाति साल्वी, जाति साल्वी, उम्र 65 वर्ष, निवासी जलखेडी, तहसील डुंगला, जिला चितौडगढ़ (राज.)

बनाम रेस्पोंडेंट्सः—

1. श्री रूपाराम पुत्र श्री नाराराम, जाति मेघवाल, निवासी निम्बली ब्राहमणान, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)
2. मांगुसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति रजपूत, निवासी डेण्डा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
3. ग्राम पंचायत डेण्डा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
4. तहसीलदार साहब, पाली तहसील व जिला पाली (पाली)

उपस्थितिः—

1. श्री रामलाल भाटी, श्री विद्वान अभिभाषक अपीलांट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 बखिलाफ म्यूटेशन संख्या 3472 दिनांक 20—07—2015 जो सरपंच, ग्राम पंचायत डेण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त करने बाबत्

—:निर्णयः— दिनांक 31/10/2019

1. अपीलांट ने यह अपील रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पेपी बेवा पुकीया कौम भाम्बी के नाम से ग्राम डेण्डा के वर्तमान खसरा नम्बर 365 रकबा 07 बिस्वा किस्म गै.मु. ओडिया की स्थित थी, जिसे पेपी बेवा पुकीया ने अपने जीवनकाल में दिनांक 28—09—2007 को रेस्पोडिन्ट संख्या 02 के पक्ष में एक आम मुख्तीयारनाम तहरीर व तकमील किया। उक्त आम मुख्तीयार की हैसियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दिनांक 12—06—2008 को खसर नम्बर 365 रकबा 07 बिस्वा भूमि का 91/10 8वां हिस्सा यानि रकबा 5.90 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट को बेचाण की, तब से लगाकर अपीलान्ट आज दिन तक बिना किसी रोकटोक के उक्त कृषि भूमि पर काबिज है। पेपी बेवा पुकीया ने भी अपीलान्ट को उक्त कृषि भूमि मे से अपने सम्पूर्ण भूमि का मुख्तीयार रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को दे दिया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को दिनांक 28—09—2007 को दे दिया था। जिस अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट के पक्ष में उक्त सम्पूर्ण भूमि का बेचाण दिनांक 12—06—2008 को कर दिया हैं। इसके उपरान्त भी पेपी बेवा पुकीया ने अपने जीवनकाल में अपने सम्पूर्ण हिस्से को पूनः रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलान्ट के पक्ष मे उक्त सम्पूर्ण भूमि का बेचाण दिनांक 12—06—2007 को कर दिया है। इसके उपरान्त भी पेपी बेवा पुकीया ने अपने जीवनकाल में अपने सम्पूर्ण हिस्से को पूनः रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बेचाण कर दिया है। जबकि अपीलान्ट के पक्ष मे उक्त दस्तावेज पंजीयन करने के बाद पेपीदेवी के नाम कोई जमीन शेष नही थी। अपीलान्ट ने वक्त रजिस्टर्ड की प्रति के आधार पर अने नाम से म्यूटेशन दर्ज करने हेतु

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

रजिस्ट्री की नकल पटवारी हल्का डेण्डा को उपलब्ध करवा दी थी लेकिन पटवारी हल्का डेण्डा ने अपीलान्ट का नाम दर्ज नही किया है। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्य 01 का नाम दर्ज हो गया है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में वक्त खरीद से ही बिना किसी रोक टोक के अपीलान्ट का कब्जा काश्त चल आ रहा हैं। सरकारी विभाग के कर्मचारीयों द्वारा अपीलान्ट के नाम जानबुझकर म्युटेशन दर्ज नही किया हैं। उनका फायदा उठाते हुये पेपी बेवा पुकीया ने उक्त कृषि भूमि का दूबारा बेचाण कर दिया है। इस कारण अपीलान्ट को उक्त अपील प्रस्तुत करनी पड़ रही है। अपीलान्ट को अपीलाधीन म्युटेशन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.01.2018 को हुई। जब अपीलान्ट द्वारा अपनी कृषि भूमि का बीमा करवाने हेतु पटवारी हल्का डेण्डा से उक्त खसरे की कृषि भूकि की जमाबंदी की मांगी की, तब उक्त खातेदारी कृषि भूमि में मेरा नाम दर्ज नहीं हुआ है एवम् पेपी बेवा पुकीया द्वारा दूबारा बेचाण किये जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम दर्ज हो गया हैं। इस पर अपीलान्ट ने तहसील पाली से म्यूटेशन संख्या 3472 की दिनांक 09–01–2018 की मांग की, जो अपीलान्ट को दिनांक 17–01–2018 को प्राप्त हुई। अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपालीट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 3472 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट के नाम नामांतरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रेकर्ड तलब किया गया।

3. रेस्पोंडंट्स सख्या 4 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पेपी पत्नी पुकीया जाति मेगवाल निवासी डेण्डा नें अपने जीवनकाल मे अपने ग्राम डेण्डा के खसरा नम्बर 365 रकबा 0.07 बीघा भूमि मे अपना सम्पूर्ण हिससा विक्रय किया जिसमे सहकृषक रगीया पुत्र मोडीया, रूपला, खीमा, मोटीया, हीरका, रामीया पि. मूला, मादीया पनीया पि. मूला ने भी अपनी खसरा नम्बर 365 के सहकृषक भूमि का विक्रय अपीलांट के पक्ष मे बैचान दिनांक 12.06.08 से किया। जिसका नामान्तरण नहीं हुआ था। उक्त विक्रय के बाद पेपी पत्नि पुकीया द्वारा पुनः अपनी खसरा नम्बर 227, 228, 359, 241, 128 की भूमियो के साथ साथ खसरा नम्बर 365 का विक्रय सुदा हिस्सा पुनः विक्रय कर दिया गया जिसका पूर्ण विक्रय खसरा नम्बर 365 के 91/108 हिस्सा भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काबिज है

4. बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट की सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम डेण्डा के खसरा नम्बर 365 रकबा 07 बिस्वा भूमि पुकिया के नाम थी। जिसे पेपी बेवा पुकीया ने अपने जीवनकाल में दिनांक 28–09–2007 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्री मागूंसिह के पक्ष में एक आम मुख्तीयारनाम तहरीर व तकमील किया। उक्त आम मुख्तीयार की हैसियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्री मांगूसिंह ने दिनांक 12–06–2008 को खसर नम्बर 365 रकबा 07 बिस्वा भूमि का 91/108 वां हिस्सा यानि रकबा 5.90 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट श्री लालू को बेचाण की जिसका पटवारी द्वारा म्यूटेशन दर्ज नहीं किया गया तथा 2008 तब से लगाकर अपीलान्ट आज दिन तक बिना किसी रोकटोक के उक्त कृषि भूमि पर काबिज है। पुकिया की मृत्यु हो गयी तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम दर्ज हो गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन म्युटेशन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.01.2018 को हुई। जब अपीलान्ट द्वारा अपनी कृषि भूमि का बीमा करवाने हेतु पटवारी हल्का डेण्डा से उक्त खसरे की कृषि भूमि की जमाबंदी की मांगी की, तब उक्त खातेदारी कृषि भूमि में मेरा नाम दर्ज नहीं हुआ है एवम् पेपी बेवा पुकीया द्वारा दूबारा बेचाण किये जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम दर्ज हो गया हैं। उक्त नामां0 को निरस्त फरमा कर अपीलांट का नाम दर्ज करवाया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। वस्तुतः वकील

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

अपीलांट ने अपने बहस में अपनी अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में विफल रहे है। अपीलान्ट ने बेचाण 2008 का बताया है पर 7 साल म्यूटेशन ना होने का कारण सिद्ध नहीं कर पाये।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट ने बेचाण वर्ष 2008 का बताया पर 7 वर्षो तक नामान्तरण दर्ज नही हाने का ठोस कारण सिद्ध नही कर पाये तथा बेचाण आम मुख्यतार की हैसियत से रजिस्टर्ड हुआ है और दूसरा बेचाण सीधा भुमि धारक द्वारा रजिस्टर्ड से हुआ है तथा जमाबंदी मे अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं होने से हुआ फलस्वरूप अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड पुनः प्रेषित किया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner